

## Form-II

(For projects other than linear projects)

Government of M.P.

Office of the Divisional Forest Officer Territorial Division - Obedullaganj, District Raisen

\*\*\*\*


No. 41/5.....


Date 23-8-16

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 16.268 Hectares for forest land proposed to be diverted in favour of Industry Department (Name of user agency) for Industrial Area (Purpose for diversion of forest land) in Raisen District falls within jurisdiction of Municipal Council Mandideep {Ward no. 13, Ward no. 14 and Ward no. 20} in Goharganj tehsil. It is further certified that :

- a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 16.268 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s); Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..... to ..... annexure.  
**Area of the forest land proposed to be denotified for non forest purpose (Industrial Area) falls under Municipal Council, Mandideep.**
- b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications. In vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;  
**Area of the forest land proposed to be denotified for non forest purpose (Industrial Area) falls under Municipal Council, Mandideep. (A copy of meeting of PIC, Nagar Palika Parishad attached here with.)**
- c) the each of concerned Gram Sabha(s) has certified that all formalities/processed under the FRA have been carried out, and that they have given their having understood the purpose and details of propose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the (Municipal Council Mandideep {Ward no. 13, Ward no. 14 and Ward no. 20}) is enclosed as annexure..... to ..... annexure.  
**Area of the forest land proposed to be denotified for non forest purpose (Industrial Area) falls under Municipal Council, Mandideep.**
- d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present:  
**Area of the forest land proposed to be denotified for non forest purpose (Industrial Area) falls under Municipal Council, Mandideep.**
- e) the de-notification of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabha have given their consent to it:  
**The forest land which is to be denotified, the purpose is other than mentioned is the subclass of 3(2).**
- f) The rights of primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where Application have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA- **Not applicable**

  
General Manager  
M. B. A. K. V. N., Bhopal

  
(Lokesh Kumar Jatav)  
Collector  
District Raisen


कार्यालय नगरपालिका मण्डीदीप, जिला-रायसेन मध्यप्रदेश


नगरपालिका, मण्डीदीप का सहमति पत्र -

1. म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल (आवेदक विभाग का नाम) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, जिला-रायसेन म.प्र. की 16.268 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के निर्वणीकरण का प्रस्ताव प्रचलन में है। (परियोजना का नाम) नगर पालिका, मण्डीदीप के ग्राम-सतलापुर, झलारकला एवं मोईजपुरा के आरक्षित वनक्षेत्र के दीप वनखण्ड के कक्ष क्रमांक पी-776 एवं पी-777 में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक Nil में है। म.प्र. राजपत्र दिनांक 18.03.2016 के भाग-2 में प्रकाशित स्थानीय निकाय की अधिसूचना जो दिनांक 11.03.2016 को कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) रायसेन द्वारा जारी की गई है, में वार्ड क्रमांक-13 (गुरुनानक वार्ड), वार्ड क्रमांक-14 (शिवाजी वार्ड) एवं वार्ड क्रमांक-20 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड) का उल्लेख है, जिसमें आवेदित वन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र, मण्डीदीप के अंतर्गत आता है। उक्त वन भूमि के निर्वणीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अंतर्गत नगर पालिका, मण्डीदीप के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।
2. वनभूमि निर्वणीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत नगर पालिका, मण्डीदीप के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा नगर पालिका, मण्डीदीप की बैठक दिनांक 16.06.16 में की गई।
3. नगरपालिका मण्डीदीप यह प्रमाणित करती है कि, निर्वणीकरण के लिये आवेदित वनभूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 में उल्लेखित अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी आवेदित क्षेत्र में निवास नहीं करते हैं।
4. वनभूमि निर्वणीकरण के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से नगरपालिका, मण्डीदीप क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः नगर पालिका, मण्डीदीप एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न- नगरपालिका मण्डीदीप की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

दिनांक 16-06-2016

  
General Manager  
M.P.A.K.V.N., Bhopal

  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगरपालिका मण्डीदीप जिला रायसेन

निकाय का नाम - नगरपालिका मण्डीदीप  
सम्मिलन का स्थान - नगरपालिका मण्डीदीप,

सम्मिलन की तारीख - 16.06.2016  
सम्मिलन का समय - 2 बजे

2

सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
प्रकरण क्रमांक 01 म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल (आवेदक विभाग का नाम) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन हेतु 16.268 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के निर्वणीकरण हेतु अनुमति बाबत।	प्रस्ताव पर सर्वसम्मती से विचार कर निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम भोपाल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज जिला-रायसेन की 16.268 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि के निर्वणीकरण प्रस्ताव वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अंतर्गत अनुमति दिया जाना प्रस्तावित किया गया है। नगर पालिका, मण्डीदीप के ग्राम-सतलापुर, झलारकलां एवं मोईजपुरा के आरक्षित वनक्षेत्र के दीप वनखण्ड के कक्ष क्रमांक पी-776 एवं पी-777 में/राजस्व वन क्षेत्र के खसरा क्रमांक Nil में है। म.प्र. राजपत्र दिनांक 18.03.2016 के भाग-2 में प्रकाशित स्थानीय निकाय की अधिसूचना जो दिनांक 11.03.2016 को कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) रायसेन द्वारा जारी की गई है, में वार्ड क्रमांक-13 (गुरुनानक वार्ड), वार्ड क्रमांक-14 (शिवाजी वार्ड) एवं वार्ड क्रमांक-20 (पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड) का उल्लेख है, जिसमें आवेदित वन क्षेत्र नगरपालिका क्षेत्र, मण्डीदीप के अंतर्गत आता है। उक्त वन भूमि के निर्वणीकरण का प्रस्ताव वन (संरक्षक) अधिनियम 1980 के अंतर्गत नगर पालिका, मण्डीदीप के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। वनभूमि निर्वणीकरण का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2008 के अंतर्गत नगर पालिका, मण्डीदीप के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा नगर पालिका, मण्डीदीप की बैठक दिनांक 16.06.16 में की गई, वनभूमि निर्वणीकरण के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से नगरपालिका, मण्डीदीप क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः नगर पालिका, मण्डीदीप एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है एवं प्रस्ताव पारित किया जाता है।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
मुख्य नगरपालिका अधिकारी  
नगर पालिका मण्डीदीप  
नगरपालिका परिसर मंडोदीप जिला रायसेन

प्रशासक एवं प्रभारी अधिकारी  
नगर पालिका मण्डीदीप

General Manager  
M.P.A.K.V.N., Bhopal